113

पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय में ए.टी
चंडीगढ़
सीडब्ल्यूपी नं. 2022 का 25134
निर्णय की तिथि: 23.11.2022

सूरज और अन्य...याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य...प्रतिवादी

अरुण मोंगाए जेण ;मौखिकद्ध

इसमें याचिका, अन्य बातों के साथ-साथ, उत्तरदाताओं संख्या 4 और 11, दिनांक 08.09.2022 (अनुलग्नक पी-9) द्वारा जारी दिनांक 23.08.2022 (अनुलग्नक पी-8) के विवादित उत्तरों को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी की प्रकृति में एक उचित रिट जारी करने के लिए है।) प्रतिवादी क्रमांक 13 द्वारा जारी, दिनांक 09.09.2022 (अनुलग्नक पी-10) उत्तरदाता क्रमांक 8 और 15 द्वारा जारी और दिनांक 20.09.2022 (अनुलग्नक पी-11 और पी-12) प्रतिवादी क्रमांक 16 द्वारा जारी, जिससे दावा किया जा सके याचिकाकर्ताओं के मासिक मानदेय/पारिश्रमिक को अन्य जिलों के आयुष्मान मित्रों के बराबर बढ़ाने की मांग पर विचार नहीं किया गया है।

2. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि स्वास्थ्य सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और लाभार्थियों को एक सहज अनुभव प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने आयुष्मान मित्र को संस्थागत बनाने का प्रस्ताव दिया, जो एक प्रमाणित फ्रंटलाइन स्वास्थ्य सेवा पेशेवर है। जो ईएचसीपी में मौजूद रहेंगे और लाभार्थियों के लिए पहले संपर्क के रूप में काम करेंगे। उनके आधार पर संबंधित योग्यताओं के आधार पर, याचिकाकर्ता वर्ष 2018 में हरियाणा के विभिन्न जिलों में आयुष्मान मित्र के रूप में प्रतिवादी-विभाग में लगे थे। उन्हें रु. 5,000/- के निश्चित पारिश्रमिक और लाभार्थी के स्वर्णिम रिकॉर्ड के रूप में सत्यापन और भंडारण सहित प्रत्येक संसाधित दावे के पूरा होने पर रु. 50/- के कमीशन पर नियुक्त किया गया था। वर्तमान में, आयुष्मान मित्र के पद का नामकरण कुशल कार्यकर्ता की परिभाषा के अंतर्गत आता है और इसलिए, विभिन्न जिलों में मासिक मानदेय/पारिश्रमिक में वृद्धि की गई थी। याचिकाकर्ताओं का मामला है कि अन्य जिलों में आयुष्मान मित्रों को राज्य सरकार द्वारा कुशल श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार मासिक मानदेय मिल रहा है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को अभी भी केवल 5,000 रुपये ही मिल रहे हैं, जैसा कि उस समय तय किया गया था। उनकी नियुक्ति के. इसलिए, उन्होंने विभिन्न जिलों में अन्य समान रूप से स्थित आयुष्मान मित्रों के बराबर अपना मानदेय बढ़ाने के लिए अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया।

3. अपनी उपरोक्त शिकायत के आधार पर, याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 01.08.2022, 14.08.2022 और 30.08.2022 को कानूनी नोटिस दिए (क्रमशः अनुबंध पी-5 से पी-7)। दिनांक 23.08.2022, 08.09.2022, 09.09.2022 और 20.09.2022 (क्रमशः अनुलग्नक पी-8 से पी-12) के आक्षेपित उत्तरों के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं के दावे को प्रतिवादी-विभाग द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मामला भुगतान से संबंधित है। आयुष्मान मित्रों को मासिक मानदेय/पारिश्रमिक या न्यूनतम वेतन आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन, आयुष्मान

मित्र दिशानिर्देश 2018 और सीईओ, आयुष्मान भारत, हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं।

4. याचिका की प्रति की अग्रिम तामील पर, विद्वान राज्य वकील उपस्थित होते हैं और याचिका का विरोध करते हैं और अपना दावा प्रस्तुत करते हैं

याचिकाकर्ताओं पर प्रतिवादी-विभाग द्वारा पहले ही विचार किया जा चुका है और खारिज कर दिया गया है।

5. केस फ़ाइल. मैंने पक्षों के विद्वान वकील सुने हैं और उन पर विचार किया है

6. केस फ़ाइल के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें तथ्यों के विवादित प्रश्न शामिल हैं, जिन्हें असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के तहत हलफनामों के आधार पर नहीं माना जा सकता है।

7. यह स्वीकार किया गया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं अनुबंध के आधार पर ली गई थीं। संविदा कर्मचारी के पास केवल रोजगार अनुबंध के चारों कोनों तक सीमित सीमित अधिकार हैं। अनुबंध के संदर्भ में संविदात्मक सेवाओं को जारी रखना और/या बंद करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है। मेरा विचार है कि अनुबंध का मामला होने के संक्षिप्त आधार पर, इस न्यायालय को अपने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

8. यह न्यायालय कर्मचारियों को अनुबंध पर नियुक्त करने के नियोक्ता के विवेक के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से परहेज करेगा।

9. याचिकाकर्ताओं को उचित वैकल्पिक उपाय खोजने की स्वतंत्रता के साथ खारिज किया जाता है, जैसा कि सलाह दी जा सकती है और कानून के तहत उपलब्ध है।

23 नवंबर 2022 (अरुण मोंगा) जज
शालिनी

क्या बोल रहे हैं/तर्क कर रहे हैं: हाँ/नहीं
क्या रिपोर्ट करने योग्य है: हाँ/नहीं